न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस)
प्रा.पत्र संख्याः— 40/2025
जी.सी.एम.एस. नं.:— 2025/64

1. कृष्ण कुमार धोलीवाल पुत्र श्री रोशनलाल वर्मा जाति बलाई निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, दांतिल कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली—बहरोड़

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नीमकाथाना

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः— **प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र रोशनलाल वर्मा**

निर्णय

दिनांकः— 17/3/2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम लाखा की नांगल तहसील नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 966/454 रकबा 0.63 हैक्ट0 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी खसरा नम्बर तक पहुंचने के लिये प्रार्थी के पास कोई रिकार्डेड रास्ता नही होने से खसरा नम्बर 544 रकबा 0.58 हैक्ट0 किस्म बंजड़ में से होकर आते जाते रहे है तथा काश्त करने हेतु साधनो का आवागमन रहा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से काश्त करने के लिये खेत में आने—जाने में परेशानी हो जाता है।

अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम लाखा की नांगल के खसरा नम्बर 966/545 रकबा 0.63 हैक्ट0 मे आने—जाने हेतु ग्राम लाखा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:37:41 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

नांगल के भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 0.58 हैक्ट0 किस्म बंजड़ में से 30 फीट रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सनुवाई अप्रार्थी को जरिए नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, नीमकाथाना उपस्थित। रास्ते बाबत् नायब तहसीलदार, नीमकाथाना से रिपोर्ट मंगवाई गई, बिन्दूवार रिपोर्ट मय नक्शा के प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल की गई। मुताबिक रिपोट के विवादित आराजी पर जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पि रास्ता नही है। रास्ता अत्यांतक आवश्यक है। वांछित रास्ता न्यूनतम दूरी का है, जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि नायब तहसीलदार, नीमकाथाना से रास्ते बाबत् रिपोर्ट नक्शा सहित प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थी को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध करवाया जावें।

बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 966/545 में जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध होना नही पाया जाता है। मौके के अनुसार प्रस्तावित रास्ता आत्यांतिक आवश्यक है। प्रस्तावित रास्ते की दूरी न्यूनतम है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा नम्बर 544 रकबा 0.58 किस्म बंजड़ में से 60 मीटर लम्बाई एवं 9.15 मीटर चौड़ाई कुल भूमि 549 वर्गमीटर में रास्ता जो नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है, बताया गया है। चुंकि प्रस्तावित रास्ता राजकीय भूमि से होकर गुजर रहा है तथा राजकीय भूमि में से मांगा जा रहा है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के कमांक प.3 (52) राज–6/03/पार्ट/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक प.3 (2)राज–6/03/पार्ट/4 जयपुर दिनांक 24.12.2014 की पालना मे राजकीय भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान किये गये है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तथा रिपोर्ट नायब तहसीलदार नीमकाथाना के एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए [illegible] रास्ता की आवश्यकता अत्यांतिक है। न्यूनतम दूरी का [illegible] वैकल्पिक रास्ता नही है। राजकीय भूमि मे से रास्ता उक्त परिपत्रों की [illegible] दिया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:37:41 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व विभाग के उक्त वर्णित परिपत्रों की पालना में प्रस्तावित रास्ता (मार्ग) में आने वाली भूमि के मुआवजा/प्रतिकर की राशि की गणना वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी दर से तय की जावे तथा रास्ते में कोई निर्माण या पेड़ सरंचना आदि हो तो उसका भी नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्रार्थी से प्राप्त कर निर्धारित राजकीय मद मे जमा करावें। राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जावे। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा। आदेश की पालना में निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा की प्रमाणित प्रति संलग्न कर तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.3.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:37:41 IST
Reason: SelfAttested